



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर  
रिट याचिका क्रमांक 1054/2006

**याचिकाकर्ता:**

मोहम्मद अनीश मेमन, पिता स्व. श्री अब्दुल अजीज मेमन, आयु लगभग 40 वर्ष,  
निवासी पुरानी बस्ती, कोरबा, थाना नगर कोतवाली, जिला कोरबा (छ.ग.)।

**विरुद्ध**

**उत्तरवादीगण:**

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
2. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
3. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)।
4. पुलिस अधीक्षक, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)।
5. श्री वेदव्रत सिरमौर, वर्तमान में नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत, कोरबा शहर, नगर कोतवाली, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) ।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका)

**एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

**उपस्थिति:-**

याचिकाकर्ता के लिए श्री आनंद दादरिया, अधिवक्ता।  
राज्य की ओर से श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता।  
उत्तरवादी क्रमांक 5 के लिए श्री सी.के. यादव, अधिवक्ता।

**मौखिक आदेश**

(दिनांक 05.11.2008 को पारित)



याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 5, जो कोरबा शहर, नगर कोतवाली, कोरबा में नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत है, याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है। उत्तरवादी क्रमांक 5 याचिकाकर्ता के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, याचिकाकर्ता के सेवा परिसर में जा रहा है और उससे अवैध मांग कर रहा है। उत्तरवादी क्रमांक 5 के उपरोक्त अवैध कृत्यों के लिए, याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष कई प्रतिवेदन दिए, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता के प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अतएव, पुलिस अधिकारी इस मामले में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और याचिकाकर्ता के प्रतिवेदनों पर आगे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

2) इस संबंध में, विधि बहुत स्पष्ट है। यदि पुलिस थाना दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "द.प्र.सं.") की धारा 154 की उप-धारा (1) में संदर्भित जानकारी दर्ज नहीं कर रहा है, तो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की जा सकती है। यदि पुलिस अधीक्षक भी कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो परिवादी द.प्र.सं. की धारा 200 सहपठित धारा 190 के उपबंध का अवलंब ले सकता है।

3) अलेक पदमसी एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य (2007) 6 एस.सी.सी. 171 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि "यदि कोई व्यक्ति प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता से



व्यथित है, तो संहिता की धारा 200 के साथ पठित धारा 190 में निहित पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए।"

4) साकिरी वासु विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2008) 2 एस.सी.सी.

409 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"11....हम यह कहना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को यह शिकायत है कि पुलिस थाना द.प्र.सं. की धारा 154 के अधीन उसका प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं कर रहा है, तो वह द.प्र.सं. की धारा 154 (3) के अधीन लिखित आवेदन द्वारा पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकता है। यदि उससे भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है, इस अर्थ में कि या तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभी भी दर्ज नहीं किया गया है, या दर्ज करने के बाद भी कोई उचित अन्वेषण नहीं किया गया है, तो व्यथित व्यक्ति के लिए संबंधित विद्वान दण्डाधिकारी के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 156 (3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करना खुला है। यदि दण्डाधिकारी के समक्ष धारा 156 (3) के अधीन ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो दण्डाधिकारी प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने का निर्देश दे सकता है और उचित अन्वेषण करने का निर्देश भी दे सकता है, ऐसे मामले में जहाँ व्यथित व्यक्ति के अनुसार, कोई उचित अन्वेषण नहीं किया गया था। दण्डाधिकारी उसी उपबंध के अधीन उचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए अन्वेषण की निगरानी भी कर सकता है।

17. हमारे अभिमत में द.प्र.सं. की धारा 156 (3) दण्डाधिकारी में उन सभी शक्तियों को निहित करने के लिए पर्याप्त विस्तृत है जो उचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, और इसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने का आदेश देने की शक्ति भी सम्मिलित है। और यदि दण्डाधिकारी का समाधान हो जाता है कि उचित अन्वेषण नहीं किया गया है, या पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो उचित अन्वेषण का आदेश देने की शक्ति भी इसमें सम्मिलित है। द.प्र.सं. की धारा 156 (3), यद्यपि संक्षिप्त रूप में शब्दबद्ध है, हमारे अभिमत में, बहुत





विस्तृत है और इसमें वे सभी आनुषंगिक शक्तियां सम्मिलित होंगी जो उचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।"

5) ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य (2008) 7 एस.सी.सी.

164 के प्रकरण में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मत को दोहराया है।

6) द.प्र.सं. में पर्याप्त सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, इसलिए, यदि कोई शिकायत मौजूद है, तो याचिकाकर्ता पहले संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकता है और; उसके पश्चात, द.प्र.सं. की धारा 200 से 203 सहपठित धारा 190 या द.प्र.सं. के अन्य उपबंधों के अधीन न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में जा सकता है।

7) उपरोक्त कारणों से, याचिका निराकृत की जाती है।

8) परिणामस्वरूप, एम.(डब्ल्यू.).पी. क्रमांक 822/2006 भी निराकृत की जाती

है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।